राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्र. एफ 40(37)ग्रावि/नरेगा/कन्वरजेंस/एपी–एएलए लैड/11 जयपुर, दिनांकः 7/7/11

7 JUL 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्य एमएलए/एमपी लेड से डवटेल कराये जाने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16.02.2011 को आयोजित राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में यह निर्देश दिये गये थे कि "योजनान्तर्गत अनुमत कार्यो को एमएलए एवं एमपी लेड से डवटेल करवाये जाने हेतु विधायकों एवं सांसदों को अनुरोध किया जावे। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना, राजस्थान की तकनीकी मार्गदर्शिका–2010 के पैरा 29.1.2 के अनुसार नरेगा की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृत कार्यो के निर्माण में व्यय की जाने वाली राशि को (व्यक्तिगत लाभ केटेगिरी iv के कार्यो को छोड़कर) नरेगा योजना की धनराशि से पूर्ण अथवा आंशिक रूप में सांसद/विधायक क्षेत्रीय विकास योजना के साथ डवटेल/समन्वय किया जा सकता है।

2. नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये जा रहे अन्य कार्यों जिनमें श्रम सामग्री अनुपात निर्धारित सीमा से अधिक होना सम्भावित हो, ऐसे कार्यों में से सामुदायिक उपयोग के कार्यों की प्राथमिकता अनुसार एमएलए/एमपी लेड योजना से डवटेल करवाने के प्रयास किये जावें।

3. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि नरेगा योजना की धन राशि जहां भी पूर्ण या आंशिक रूप से डवटेल या समन्वय कर उपयोग में ली जावे, उस स्थिति में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत एवं एमएलए/एमपी लेड योजनाओं का उल्लेख किया जायेगा।

7/7/11

PTO

4. एमएलए/एमपी लेड से डवटेल स्वीकृत राशि का उल्लेख तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के परिशिष्ठ–11अ के कॉलम संख्या 24 में स्पष्ट रूप से किया जावें।

5. कार्य की कुल स्वीकृत राशि अनुसार तकनीकी स्वीकृति जारी की जावेगी जिसमें अलग–अलग योजनाओं की राशि को स्पष्ट रूप से अंकित किया जावें।

6. समस्त कार्य नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका – 2010 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं की पालना करते हुये किया जायेगा।

इस संबंध में जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, अलवर द्वारा जारी स्वीकृतियां अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न की जा रही है।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत्त स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(सी.एस. राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. परि. निदे. एवं उप सचिव, (एस.ए.पी.) ग्रामीण विकास विभाग को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार नरेगा से एमएलए/एमपी लेड योजना को डवटेल करने हेतु माननीय सासंद एवं माननीय विधायकगणों से अनुरोध करावें।
5. अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस को अ.शा. टीप कमांक एफ 11(10) ग्रावि/नरेगा/एसईजीसी/पार्ट–I/2010 दिनांक 23.052011 के कम में।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

7/7/11

परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

परिशिष्ट–11 अ

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला अलवर।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

वित्तीय स्वीकृति संख्या व वर्ष : प०–3/2011–12/ 3401–10 — **दिनांक: 18.06.2011**

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यों के सम्मुख अंकित राशि की तकनीकी स्वीकृति की कम संख्या के अनुसरण में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। निम्न स्वीकृत कार्यों के लिए सांसद महोदय ने अपने पत्र कमांक 3465 दिनांक 11.04.2011 व 3527 दिनांक 18.04.2011 के द्वारा सामग्री मद की राशि को **सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना** से डवटेल करने की अभिशंषा की है अतः सामग्री मद की राशि सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना से डवटेल की जायेगी।

क. स.	कार्य का नाम	ग्राम/ ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में कमांक	यूनिक कोड (कार्य कोड)	कार्य अवधि (माह में)	तकनीकी स्वीकृति संख्या एवं वर्ष			नरेगा योजना से वित्तीय स्वीकृति की राशि			अन्य योजना से डवटेल की जाने वाली सामग्री राशि	कुल स्वीकृत राशि	कार्य पर संभावित मानव दिवस	कार्य पूर्ण होने की संभावित अवधि	कार्यकारी एजेन्सी	कार्य की श्रेणी	विशेष विवरण/ अन्य योजना से वित्त पोषण की राशि
							कमांक	दिनांक	राशि	श्रम	सामग्री	योग	एमपी लेड						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ग्राम ढिस में मुख्य सडक से इन्दिरा चौहान के घर तक इण्टर लॉकिंग टाईल्स सडक निर्माण	कारोडा	बहरोड	12	70146	3	17	17.05.2011	2.34	0.34	0.00	0.34	2.00	2.34	286	2	ग्राम पंचायत	8	2.00
2	ग्राम गुर्जरवास में राजकीय माध्यमिक विधालय से श्योराम के घर की ओर सी.सी.इण्टर लॉकिंग मय नाली निर्माण	गुर्जरवास	बहरोड	13	70147	2	16	17.05.2011	1.15	0.15	0.00	0.15	1.00	1.15	126	2	ग्राम पंचायत	8	1.00
3	ग्राम अन्नतपुरा में बिचलावास से अमरसिंह वैध के घर की ओर सी.सी.इण्टरलॉकिंग मय नाली निर्माण	अनन्तपुरा	बहरोड	14	70148	3	3	17.05.2011	2.32	0.32	1.40	1.72	0.60	2.32	269	3	ग्राम पंचायत	8	0.60
4	मुख्य चौपाल से जयसिंह वाली गली में ईट खरंजा मय नाली निर्माण कार्य रिवाली	रिवाली	बहरोड	17	70149	3	4	17.05.2011	2.48	0.48	0.00	0.48	2.00	2.48	403	3	ग्राम पंचायत	8	2.00
5	ग्राम शेरपुर में सी.सी.रोड से राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय तक ईट खरंजा निर्माण	शेरपुर	बहरोड	4	70150	3	6	17.05.2011	2.54	0.54	0.00	0.54	2.00	2.54	454	3	ग्राम पंचायत	8	2.00
6	ग्राम जैनपुरवास में स्कूल से मुन्नीबाबा की ओर ईट खरंजा निर्माण	जैनपुरवास	बहरोड	5	70151	2	11	17.05.2011	1.99	0.39	0.00	0.39	1.60	1.99	328	2	ग्राम पंचायत	8	1.60

7	ग्राम गण्डाला में रणवीर के मकान से खोहर रोड तक सीमेण्ट इण्टर लॉकिंग टाईल्स सडक निर्माण	गण्डाला	बहरोड	6	70152	4	2	17.05.2011	3.45	0.46	0.00	0.46	2.99	3.45	387	3	ग्राम पंचायत	8	2.99
8	ग्राम निम्भोर में उच्च प्राथमिक विद्यालय से शिवजी के मंदिर तक ईट खरंजा निर्माण	अनन्तपुरा	बहरोड	7	70153	3	9	17.05.2011	2.44	0.44	0.00	0.44	2.00	2.44	370	2	ग्राम पंचायत	8	2.00
9	ग्राम बर्डोद में चांदनी चौक से बाल्मिकी गट्टे तक सी.सी.इण्टर लॉकिंग मय नाली निर्माण	बर्डोद	बहरोड	10	70154	5	1	17.05.2011	5.84	0.84	3.25	4.09	1.75	5.84	706	4	ग्राम पंचायत	8	1.75
10	ग्राम पहाडी में सार्वजनिक धर्मशाला से राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय की और ईट खरंजा निर्माण	पहाडी	बहरोड	11	70155	3	12	17.05.2011	2.43	0.43	0.00	0.43	2.00	2.43	361	2	ग्राम पंचायत	8	2.00
11	ग्राम जैनपुरवास में हरिजन कॉलोनी से शमशान घाट तक ईट खरंजा मय नाली निर्माण	जैनपुरवास	बहरोड	1	70156	2	10	17.05.2011	1.26	0.26	0.00	0.26	1.00	1.26	218	2	ग्राम पंचायत	8	1.00
12	ग्राम भूपसेडा मेहरिजन बस्ती मे ईट खरंजा मय नाली निर्माण	बुढवाल	बहरोड	3	70157	2	5	17.05.2011	1.84	0.34	0.00	0.34	1.50	1.84	286	2	ग्राम पंचायत	8	1.50
13	ग्राम जागुवास में बाबूलाल के घर से पतराम प्रजापत के घर की और ईट खरंजा निर्माण	जागुवास	बहरोड	6	70158	3	14	17.05.2011	2.45	0.45	0.00	0.45	2.00	2.45	378	3	ग्राम पंचायत	8	2.00
14	ग्राम तेली की ढाणी में राजेन्द्र मास्टर के घर से रोड की तरफ प्रीकास्ट इण्टर लॉकिंग सडक निर्माण कार्य	ग्रादोज	बहरोड	7	70159	2	15	17.05.2011	1.16	0.16	0.00	0.16	1.00	1.16	134	2	ग्राम पंचायत	8	1.00
15	ग्राम दुढारिया में बलबीर भाजना से बनी तक ईट खरंजा मय नाली निर्माण	दुढारिया	बहरोड	1	70160	2	8	17.05.2011	1.80	0.30	0.00	0.30	1.50	1.80	252	2	ग्राम पंचायत	8	1.50
16	ग्राम खोहर मे शहीद दलीपसिंह उच्च माध्यमिक विधालय से दोसोद को जोडने वाली सडक तक प्रीकास्ट इण्टर लॉकिंग टाईल्स सडक निर्माण	खोहर	बहरोड	2	70161	3	18	17.05.2011	2.33	0.33	0.00	0.33	2.00	2.33	277	3	ग्राम पंचायत	8	2.00
17	ग्राम बसई में कुम्हार मोहल्ले के आम रास्ते पर ईट खरंजा निर्माण कार्य	बसई	बहरोड	4	70162	3	7	17.05.2011	2.42	0.43	0.00	0.43	1.99	2.42	361	3	ग्राम पंचायत	8	1.99
	Total Amount									6.66	4.65	11.31	28.93	40.24					28.93

उपरोक्त कार्यो के कियान्वयन में निम्न शर्तो की पालना आवश्यक होगी:

1 कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार ही किया जावेगा। अलग अलग योजनाओं की राशि को योजनावार एवं मदवार स्पष्ट रूप से अंकित किया जायें।

2 महात्मा गॉंधी नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 में निर्दिष्ट मापदण्डों एवं व्यवस्थाओं की पालना करते हुए ही कार्य का धन/अनुमादन होने के उपरान्त ही भुगतान/समायोजन की कार्यवाही की जावे।

3 यदि कार्य के निष्पादन में अप्रत्याशित विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो ऐसी वृद्धि के लिए कार्यकारी संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

4 यदि कार्य विभिन्न योजनाओं के साथ डवटेल किया जाता है तो योजनावार स्वीकृत राशि को पृथक–पृथक दर्शाना होगा।

5 कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के अन्त में अधोहस्ताक्षरकर्ता को योजना के निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

6 प्रशिक्षित मेट ही कार्य पर नियोजित किया जावे। मस्टररोल जारी करते समय मेट का पूरा नाम आवश्यक रूप से लिखा जावे।

7 प्रपत्र–6 में प्राप्त आवेदन के आधार पर ग्राम पचायत से प्राप्त श्रमिकों की सूची के अनुसार समस्त श्रमिकों के नाम अंकित कर एवं समस्त कालमों की पूर्ति कर ही मस्टररोल जारी की जावे।

8 अकुशल श्रमिकों के लिए श्रमिकों का नाम अंकित कर तथा अर्द्धकुशल, कुशल तथा मेट आदि के लिए मस्टररोल अलग–अलग जारी किया जावे।

9 प्रत्येक कार्यकारी संस्था द्वारा मजदूरी भुगतान की राशि, की गई मजदूरी के दिनों का इन्द्राज जॉब कार्ड में किया जाकर दिनांकित हस्ताक्षर किये जायेंगे। ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार की सूचना ग्रामवार रोजगार रजिस्टर प्रपत्र–7 में इन्द्राज किया जायेगा।

10 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके बैंक/पोस्ट ऑफिस खाते में ही किया जावे। जिन श्रमिकों के बैंक/पोस्ट ऑफिस में खाते नही है, उन श्रमिकों का खाता खुलवाने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं मेट की होगी।

11 ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार की सूचना के संधारण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के सचिव की एवं पंचातय समिति स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

12 कार्यों का कियान्वयन किसी भी स्थिति में ठेकेदारों एवं मशीन द्वारा अनुमत नही हैं। विभागीय प्रक्रियानुसार कार्य की सामग्री मद की राशि का टेण्डर किया जाता है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा टेण्डर प्रीमियम की स्वीकृति जिला परिषद के अनुमोदन उपरान्त दी जा सकेगी।

13 मस्टररोल पाक्षिक रखे जायेगे, जिसमें साप्ताहिक अवकाश गुरूवार का होगा।

14 ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत कार्यों का मापन, मूल्यांकन एवं निरीक्षण आदि का कार्य महात्मा गाँधी नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जावेगा।

15 समूह श्रमिको के द्वारा किये गये कार्यों का माप, मेट द्वारा प्रत्येक दिन लिया जाकर उसका इन्द्राज प्रतिदिन मस्टररोल मे नियमानुसार किया जावेगा। साथ ही कनिष्ठ अभियन्ता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा रनिंग पखवाडे के बीच मे कम से कम एक बार कार्य की माप का मौके पर सत्यापन कर इन्द्राज मस्टररोल में किया जाना आवश्यक होगा। यह इन्द्राज मस्टररोल के साथ–साथ कार्य पर उपलब्ध कार्यस्थल निरीक्षण पुस्तिका में करना भी आवश्यक होगा। पखवाडा समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर श्रमिकों का भुगतान शत–प्रतिशत किये जाने की जिम्मेदारी कार्यकारी संस्था की होगी अन्यथा कार्यकारी संस्था को विलम्ब के लिए उत्तरदायी ठहराया जाकर श्रमिकों की क्षतिपूर्ति करवायी जायेगी।

16 श्रमिकों का नियोजन केवल 5–5 के समूह बनाकर ही किया जावे एवं उन्हें टास्क भी इसी अनुसार दिया जावे। किये गये कार्य का माप भी इन पांच श्रमिकों का एक साथ किया जावे। इस प्रकार एक मस्टररोल में दो प्रकार के भुगतान करवाये जाने की जिम्मेदारी तकनीकी अधिकारी की होगी।

17 प्रत्येक कार्य के लिए मानक कार्य की मात्रा (टास्क) महात्मा गाँधी नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका–2010 के परिशिष्ट–4 एवं परिशिष्ट–4'अ' अनुसार निर्धारित की जावेगी।

18 किये गये व्यय का पखवाडेवार अंकन ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति एवं संचयी व्यय रजिस्टर में किया जावेगा।

19 कार्य स्थल पर स्वचछ पेयजल, छाया और प्राथमिक उपचार बॉक्स उपलब्ध कराया जायेगा। अगर एक कार्य स्थल पर 6 वर्ष से कम उम्र के 5 से अधिक बच्चे महिला मज़दूरों के साथ आते हो तो एक महिला (विकलांग को प्राथमिकता देते हुए) मजदूर उन बच्चों की देखभाल हेतु लगाई जावेगी, जिसे टास्क अनुसार श्रम मद से भुगतान देय होगा।

20 टास्क आधारित मजदूरी के भुगतान का आधार एवं दर कार्य स्थल पर प्रदर्शित करते हुये महात्मा गाँधी नरेगा कार्य निर्देशिका अनुसार कार्य का डिस्प्ले बोर्ड कार्यस्थल पर कार्य शुरू होने से पूर्व ही लगाया जायेगा।

21 कार्यस्थल पर सदैव मस्टररोल के साथ वित्तीय स्वीकृति, तकमीने एवं कार्यस्थल पुस्तिका के संधारण करना होगा। प्रथम बार मस्टररोल जारी होते समय यह दस्तावेज जारी करने होगे जो कार्य के लिए जारी अंतिम मस्टररोल के साथ जमा होगे।

22 **एनीकट निर्माण के कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व सम्बन्धित जल संसाधन खण्ड से एनओसी एवं फिजीबिलिटी रिपोर्ट ली जावे। एनीकट निर्माण के समय नींव की जाँच तकनीकी अधिकारी से करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जावे।**

23 साधारण मिट्टी के अलावा अन्य प्रकार के स्ट्रेटा की खुदाई का सत्यापन एवं अतिरिक्त लीड एवं लिट का सत्यापन अधिशाषी अभियन्ता नरेगा/ अभियांत्रिकी के कराने के पश्चात ही दर निर्धारित की जावे।

24 निर्माण सामग्री की आपूर्ति न्यूनतम एवं निकटतम क्वारी से करने का प्रमाणीकरण माप पुस्तिका में दर्ज किये जाने एवं क्वारी का नाम अंकित करने पर ही मूल्यांकन वैध माना जावेगा।

25 कार्य के शुरू होने से पूर्व की अवस्था, प्रगति एवं समाप्ति पश्चात का दिनांकित फोटो आवश्यक रूप से लिया जावें एवं इसे कार्य की वर्क फाईल के साथ स्थायी रिकार्ड के रूप में रखा जावे।

26 वन/सार्वजनिक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग अथवा एनीओ पखवाडा समाप्ति पर मेट से मस्टररोल प्राप्ति से पूर्व मस्टररोल पर ग्राम पंचायत के सचिव/ रोजगार सहायक के हस्ताक्षर करवायेगे और पंचायत के यह कार्मिक इस मस्टररोल से पंचायत में संधारित ग्रामवार रोजगार रजिस्टर संख्या–7 में उस श्रमिक परिवार के नियोजित दिनों में इस पखवाडे के दिनों का जोड करेगें। इस निर्देश की पालना नही करने पर किसी परिवार को 100 दिवस से ज्यादा का रोजगार दे दिये जाने पर अतिरिक्त राशि की वसूली लाइन विभाग से की जायेगी।

27 कार्य का समय एवं भोजनावकाश जिला कार्यकम समन्वयक द्वारा जारी आदेश के अनुसार रखा जावेगा।

28 सामग्री मद एवं मस्टररोल का भुगतान होते ही नरेगा वेबसाईट पर एमआईएस हेतु मस्टररोल हेतु मस्टररोल फीड कराने एवं पंचाएत घर पर वेजलिस्ट चस्पा कराने का दायित्व कार्यकारी एजेन्सी एवं कार्यकम अधिकारी का होगा।

29 तकनीकी अभियन्ता द्वारा कार्य की माप कार्यकम अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरित माप पुस्तिका में ही करनी होगी।

30 कार्य सम्पादित कराने के लिए सामग्री का कय विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जावेगा।

31 श्रमिकों की उपलब्धता के अनुसार कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण कराया जाए।

जिला कार्यकम समन्वयक
अलवर

कमांक प०–3/2011–12/3401–10 दिनांक: 18.06.2011

प्रतिलिपि

1 श्री .... सांसद/विधायक..............................।
2 जिला प्रमुख/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
3 अधिशाषी अभियन्ता/प्रभारी अधिकारी नरेगा/एमआईएस मैनेजर/ लेखा शाखा जिला परिषद
4 प्रभारी अधिकारी (एमपीलैड) को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना से दी जाने वाली सामग्री मद की राशि सम्बन्धित को हस्तान्तरित करावें एवं सामायोजन की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।
5 परियोजना अधिकारी लेखा, जिला परिषद, अलवर।
6 उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार..............................।
7 विकास अधिकारी/कार्यकम अधिकारी पंचायत समिति.............................. को प्रेषित कर निर्देश है कि इन आदेशों की एक–एक प्रति निम्नलिखित को भी आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें:–
   अ– संबंधित जिला परिषद सदस्य श्री..............................।
   ब– पंचायत समिति सदस्य श्री..............................।
   स– ग्राम स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति सदस्य श्री..............................
   द– सरपंच, ग्राम पंचायत ....।
8 सबंधित कार्यकारी संस्था।
9 जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी।

जिला कार्यकम समन्वयक
अलवर

5